

इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र (आईपीवीएम) पुरस्कार 2011

वर्ष 2011 के लिए इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कारों हेतु व्यक्तियों तथा संस्थाओं, जिन्होंने वनीकरण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी एवं अनुकरणीय योगदान दिया है, से नामांकन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

- (क) व्यक्तियों/संस्थाओं को सात श्रेणियों (प्रोफार्मा देखें) के अंतर्गत मेडल और प्रशस्ति पत्रों सहित 2,50,000/-रु० (मात्र दो लाख पचास हजार रुपये) के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
- (ख) पुनरावृत्ति, नवीनता/सृजनात्मकता, ग्रास रूट स्तर के संगठन स्थापित करने के लिए, मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित कार्यकलापों, लक्षित समूहों जैसे कि महिलाओं/समाज के कमजोर वर्गों, अग्रम्य/दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों, व्यक्तिगत साहस के कार्यों को शामिल करते हुए कर्तव्यों के अपेक्षित दायित्वों, के अलावा किए गए कार्यों, नियोजित संसाधनों के संबंध में वास्तविक प्रभाव, मूल्य सृजन करने वाली शैक्षिक और जागरूकता गतिविधियों जैसे मानदण्डों के आधार पर वनीकरण एवं परती भूमि विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए नामांकनों पर विचार और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ग) सरकारी व्यक्तियों - वन अधिकारियों, सरकारी संस्थानों/संगठनों से नामांकन, संबंधित सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रायोजित होने चाहिए और विभाग/संस्थान/संगठन के अध्यक्ष की टिप्पणियों सहित समग्र मूल्यांकन हेतु संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाने चाहिए।

(वन अधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्तियों/संयुक्त वन प्रबंध समितियों/गैर-लाभ अर्जक स्वैच्छिक संगठनों (गैर सरकारी संगठनों)/निगम क्षेत्र (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र अभिकरणों)/(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के तहत सम्मिलित) पारि-क्लबों के नामांकन, संबंधित सरकारी अभिकरणों/पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किए जाने चाहिए और समग्र मूल्यांकन के लिए संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाने चाहिए।

- (घ) वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आई पी वी एम पुरस्कार मिले हैं। आवेदनकर्ता किसी भी श्रेणियों में कुल मिलाकर अधिक से अधिक तीन आई पी वी एम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जिसमें दो पुरस्कारों के बीच न्यूनतम अंतराल तीन वर्ष का होना आवश्यक है।
- (ङ) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर को समाप्त वर्ष से पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस पुरस्कार हेतु नामिति द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किया जाएगा।
- (च) बागवानी प्रजातियों की प्रमुखता वाले नामांकनों को पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि बागवानी प्रजातियों के लिए निश्चित वाणिज्यिक कारण होते हैं।
- (छ) निगमित क्षेत्र के मामले में, आवेदनकर्ता द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत किए जाने वाले अनिवार्य रोपण की सीमा को पृथक रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा इसे पुरस्कार के विचारार्थ रोपण क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
- (ज) आवेदनकर्ता द्वारा निगमित क्षेत्र सहित पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर किए गए वृक्षारोपण पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यकलापों में आवेदनकर्ता का सामाजिक दायित्व, निगमित क्षेत्र सहित स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए।
- (झ) ऐसे आवेदनकर्ताओं को विशेष रूप से मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने फलाई एश वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया हो।
- (ञ) निम्नलिखित स्थितियों में आवेदनों को अपात्र ठहराया जाएगा :
- क. ऐसे नामांकनों, जो उपर्युक्त पैरा 'ग' में निर्दिष्ट अनुसार अग्रेषित/प्रायोजित नहीं किए गए हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ख. ऐसे नामांकनों, जो निर्धारित प्रपत्र में न भरे गए हों/किसी भी तरह से अपूर्ण हों/अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. सूचना को छिपाने अथवा मिथ्या जानकारी देने वाले तथा भ्रामक सूचना देने वाले आवेदक, इस मंत्रालय के इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार अथवा कोई अन्य पुरस्कार दिए जाने हेतु अयोग्य ठहराए जाएंगे।

नामांकन के लिए प्रपत्र, मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.nic.in अथवा www.naeb.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा पर्यावरण भवन में मंत्रालय के स्वागत कक्ष से अथवा मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों (क्षेत्रीय केन्द्रों के पते प्रपत्र के अंत में दिए गए हैं) से प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत् रूप से प्रायोजित नामांकन केवल **हार्ड कॉपी में** और (सरकारी सेवकों, सरकार के अंतर्गत संस्थानों/संगठनों के मामले में) विधिवत् प्रायोजित एवं संबंधित विभाग/संस्थानों/संगठनों के अध्यक्ष की टिप्पणी सहित संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को **31 मई, 2011** तक अथवा उससे पहले उन्हें प्राप्त होने के लिए डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तत्पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उक्त प्रपत्र को समग्र मूल्यांकन सहित **उप सचिव (एन.ए.ई.बी.)**, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सातवां तल, कमरा सं. 706, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110510 को **30 जून, 2011** तक या उससे पहले अग्रेषित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पता सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.nic.in अथवा www.naeb.nic.in पर उपलब्ध है।

नामांकन के लिए प्रपत्र

1. वर्ष जिसके लिए नामांकन किया गया है - 2011
2. पुरस्कार की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है : (✓ श्रेणी पर चिन्ह लगाएं)
 1. व्यक्तिगत - वन अधिकारी
 2. व्यक्तिगत - वन अधिकारियों के अतिरिक्त
 3. सरकार के अंतर्गत संस्थान/संगठन
 4. संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (क्षेत्र-वार छः पुरस्कार)
 5. गैर-लाभ अर्जाक स्वैच्छिक संगठनों (गैर-सरकारी संगठन)
 6. निगमित क्षेत्र (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण)
 7. विद्यालय स्तरीय इको-क्लब (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के तहत सम्मिलित)

टिप्पणी: i) व्यक्तिगत श्रेणी - वन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार, नियमित कार्यभार से परे विशेष प्रयासों के लिए व्यक्तिगत योगदान के रूप में होना चाहिए।

ii) वन विभाग सहित सरकारी विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारी (वन अधिकारियों के अतिरिक्त) और निजी व्यक्ति, श्रेणी 2 के अंतर्गत आएंगे।

iii) जे.एफ.एम.सी. को आई.पी.वी.एम. पुरस्कारों के प्रयोजन के लिए छः क्षेत्र, **उत्तर** (दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़), **पूर्व** (बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल), **पश्चिम** (गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली, संघ शासित प्रदेश दमन एवं द्वीव और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप), **दक्षिण** (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), **केन्द्रीय** (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) और **पूर्वोत्तर** (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) होंगे।

3. नामित व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में) :
4. पूर्ण पता, दूरभाष नं. :
5. प्रायोजक का नाम व पता, दूरभाष नं. सहित
(कॉलम 12 को भरना सुनिश्चित करें)
6. कार्यों का ब्यौरा :
 - 6.1 कार्य / परियोजना का स्थान

6.2 किए गए कार्य की किस्म / सीमा (सौ शब्दों में वर्णन करें और निम्नलिखित तालिका को भी भरें)

भूमि का स्वामित्व जहां कार्य शुरू किया गया है	हैक्टेयर में क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण : क्या फलाई एश क्षेत्र / कठिन क्षेत्र / परती भूमि / चट्टान / दलदली इत्यादि है
निजी भूमि		
स्वामित्व भूमि		
सामुदायिक भूमि		
राजस्व भूमि		

6.3 कार्य की मंदा (प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा दें)

6.3.1 पौधशालाएं व पौधरोपण

2011 के पुरस्कारों के लिए

पौधशालाएं व पौधरोपण	2008	2009	2010	कुल
स्थापित पौधशालाओं की संख्या				
इन पौधशालाओं में उगाई गई पौध की संख्या				
लोगों को वितरित किए गए पौधों की संख्या				
रोपित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)				
और लगाई गई पौध की संख्या				

6.3.2 पुनरावृत्ति (क्या अन्य स्थानों पर कार्य दोबारा, सफलतापूर्वक किए गए)

6.3.3 मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित गतिविधियां

6.3.4 वृक्षारोपण की विविध प्रजातियां (**प्रजातियों के नाम, वृक्षों की संख्या और प्रजातिवार रोपित क्षेत्र की सीमा का स्पष्ट उल्लेख करें**)

6.3.5 ग्रास - रुट स्तर के संगठनों की स्थापना (जैसे वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां, स्वयं सहायता - प्राप्त समूह इत्यादि)

6.3.6 स्थानीय समुदायों की सहभागिता

6.3.7 विस्तार/ जागरुकता - उत्पन्न करना

6.3.8 परती भूमि का सुधार

6.4 जुटाए गए संसाधनों की सीमा, लागत प्रभावोत्पादकता और प्रभाव और साथ-ही-साथ जुटाए गए संसाधन

6.5 रोपे गए पौधों की उत्तरजीविता की प्रतिशतता

7. उपरोक्त कॉलम 5 में उल्लिखित कार्यों के लिए निधियों के योगदान का ब्यौरा

2011 के पुरस्कारों के लिए

अवधि	निधियों के स्रोत				कुल राशि
	स्वतः योगदान की राशि रुपयों में	दान की राशि रुपयों में	सहायता अनुदान की राशि रुपयों में	बाह्य स्रोत की राशि रुपयों में	
2008					
2009					
2010					
कुल योग					

8. श्रेणी सहित उल्लेख करते हुए लाभार्थियों की संख्या अर्थात्

महिलाएं :
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति :
छोटे और सीमांत किसान :
भूमिविहीन श्रमिक :
अन्य :

9. उपरोक्त वर्णित किए गए कार्यों से संबंधित नामित व्यक्ति द्वारा प्रकाशन / आलेख / फोटो इत्यादि (सार संलग्न करें)

10. क) विगत समय में ऐसी उपलब्धियों अथवा इसी प्रकार की अन्य उपलब्धियों के लिए प्राप्त किया गया कोई पुरस्कार ।

ख) क्या कोई इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसी वर्ग में प्राप्त किया गया, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें कि किस वर्ष में यह दिया गया था ।

11. अन्य उपलब्धियां (यदि कोई हों) तथा नामित व्यक्ति द्वारा कार्यभार से परे किए गए कार्य के अग्रणी/नवीन पहलू ।

12. सत्यापन :

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त सभी विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं तथा उन्हें सत्य होने की स्थिति में स्पष्ट सूझबूझ से प्रस्तुत किया गया है ।

स्थान

दिनांक

(नामित व्यक्ति के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर)

13. प्रायोजक अधिकारी की सिफारिशें (नामित व्यक्ति की अग्रणी तथा नवीन उपलब्धियों के संदर्भ में)

स्थान

दिनांक

(प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और पता

14. विभाग/संस्थान/संगठन के अध्यक्ष की टिप्पणियां (सरकारी कर्मचारियों सरकार के अन्तर्गत संस्थानों/संगठनों के मामले में लागू)

स्थान

दिनांक

(विभाग/संस्थान/संगठन विभाग
के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और पता

15. निम्नलिखित पक्षों अर्थात् रोपणकार्यों की वास्तविक उपलब्धियां, रोपणकार्यों की उत्तरजीविता की प्रतिशतता, लोगों को शामिल किये जाने की सीमा और जागरुकता और शैक्षणिक महत्व के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक की संपूर्ण टिप्पणियां ।

स्थान

दिनांक

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक के हस्ताक्षर)

एन.ए.ई.बी., पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्र

1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी के वी के कैम्पस (पोस्ट बैग नं.2477), बेंगलूरु -560065 (टेलीफोन नं. - 080-3334210)
2. डॉ. वाय एस परमार बागबानी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन - 173230 (हि.प्र.) (टेलीफोन नं. - 01792-252487)
3. कृषि वित्त निगम लिमिटेड, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बी- 9, सामुदायिक केन्द्र, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058 (टेलीफोन नं.011-25550810)
4. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), नेहरु नगर, पी ओ बॉक्स 357, भोपाल - 462003, (टेलीफोन नं. 075-2565125)
5. कृषि वित्त निगम लिमिटेड, धनराज महल, प्रथम तल, सी एस एम मार्ग, मुंबई - 400001, (टेलीफोन नं. - 022-22028924)
6. नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग - 793014, (टेलीफोन नं. - 0364-231626, 231919)
7. जादवपुर विश्वविद्यालय, पी ओ बॉक्स - 17026, कोलकाता - 700032, (टेलीफोन नं. - 033 - 24146979)

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय